BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINIPAL BENCH, NEW DELHI
OA NO. 1308/2024

IN THE MATTER OF:-

BIJENDER KUMAR APPLICANT

VERSUS

U.K. POLLUTION CONTROL BOARD (UKPCB) & ORS RESPONDENTS

INDEX

S NO	PARTICULARS	PAGE NO
1	RESPONSE REPORT ON BEHALF OF RESPONDANT NO 4 THROUGH EXECUTIVE ENGINEER, UTTAR PRADESH IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTARI GANGA NAHAR KHAND, ROORKEE, UTTARAKHAND IN COMPLAINCE WITH THE ORDER DATED 22-04-2025	**02 to 03**
2	History of OA No. 1308/2024	**04**
3	True copy of the letter no R-192 dated 04-06-2022	**05**
4	True copy of the letter no 56 B dated 13-03-2024	**06**
5	True copy of the letter no 310 dated 27-05-2024	**07-09**
6	True copy of the letter no 516 dated 02-05-2022	**10**
7	True copy of the letter no 1678 dated 24-05-2022	**11**
8	True copy of the letter dated 18-11-2021	**12-16**

<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 स0–1308/2024 श्री बिजेन्द्र कुमार बनाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश की अनुपालना के सम्बन्ध में आख्याः–</u>

बैरागी कैम्प के कुंभ मेला भूमि पर लगाये गये कैम्प/कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट हेतु दी गयी अनापत्ति व अनुमति के विरूद्ध वादी श्री बिजेन्द्र कुमार द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 स0–1308/2024 योजित की गयी है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त वाद में दिनांक 02.01.2025 को सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया हैं। वर्तमान में उक्त वाद में निम्नवत प्रतिवादी हैः–

1. UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
2. IRCON INTERNATIONAL LIMITED
3. DISTRICT MEGISTRATE, HARIDWAR
4. EXECUTIVE ENGINEER UTTAR PRADESH IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTARI GANGA NAHAR KHAND, ROORKEE, HARIDWAR
5. EXECUTIVE ENGINEER, UTTARAKHAND IRRIGATION DEPARTMENT, HARIDWAR

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2025 में दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन एवं वांछित रिपोर्ट समयान्तर्गत प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) भारत सरकार परियोजना कार्यान्यवन इकाई, बसन्त विहार देहरादून ने बैरागी कैम्प क्षेत्र में अपनी अनुबन्धित फर्म M/S Ircon International Limited द्वारा Upgradation And Four Laning Of Haridwar Bypass Package I from km 0.0000(km 188+ 100 of NH-58) to km 15.100 (km 5.100 of NH- 74) in state of Uttarakhand on Hybrid annuity mode विषयक कार्य कराये जाने हेतु तीन वर्ष के लिये कैम्प/ कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट स्थापना हेतु 50,000 वर्ग मीटर भूमि की मांग की गयी थी। तत्क्रम में उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूडकी सहायक अभियन्ता, प्रथम, उत्तरी खण्ड गंगा नहर हरिद्वार के पत्र संख्या – आर0– 192/उखगन, दिनांक 04.06.2022 द्वारा उपरोक्त निर्गत अनापत्ति को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।(संलग्नक–1) तदोपरान्त कार्यालय जिलेदार आराजी– द्वितीय के पत्र संख्या–13/56बी0, दिनांक 13.03.2024 द्वारा अनुबन्धित फर्म मै0 इरकॉन इन्टरनैशनल लिमिटेड को उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। (संलग्नक–2) अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूडकी ने अपने पत्र संख्या–310/ उखगनरू/ राजस्व अनु0/अतिक्रमण, दिनांक 27.05.2024 द्वारा सचिव राज्य पुर्नगठन विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून से हरिद्वार में अनापत्ति प्रकरणों को उल्लेखित करते हुए अनुरोध किया गया कि कुंभ मेला भूमि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के स्वामित्व/आधिपत्य की है एवं दोनो राज्यों के मा0 मुख्यमन्त्री जी की सयुंक्त बैठक दिनांक 18.11.2021 में लिए निर्णय की अनुपालना के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन स्तर से, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड एवं स्थानीय प्रशासन हरिद्वार/सम्बन्धित विभाग को सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के स्वामित्व की कुम्भ मेला हेतु आरक्षित 697.576 हे0 भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण/नीलामी इत्यादि की कार्यवाही न की जाये।(संलग्नक–3)।

यह भी अवगत कराना है कि उक्त प्लान्ट हेतु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नही की गयी है अपितु कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 516/जि0भू0व्यं0सहा0–2022 दिनांक 21.05.2022(संलग्नक–4) एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड उत्तराखण्ड हरिद्वार द्वारा अपने पत्रांक 1678/सिखह दिनांक 24.05.2022 (संलग्नक–5) द्वारा सम्बन्धित फर्म को उक्त प्लान्ट की अनुमति प्रदान की गयी है।

बैरागी कैम्प क्षेत्र की भूमि कुम्भ मेंला आरक्षित भूमि के अन्तर्गत है। जनपद हरिद्वार में कुम्भ मेंला लैण्ड के अन्तर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के स्वामित्व/आधिपत्य की 697.576 हे0 भूमि है, यह भूमि उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के हरिद्वार हैड वर्क्स की महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा के परिपेक्ष्य में भविष्य में विस्थापन, पुर्ननिर्माण एवं विस्तारण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। वर्तमान में इस भूमि का उपयोग हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुम्भ मेला एवं समय–समय पर आयोजित धार्मिक स्नान, पर्वों कावंड मेला इत्यादि में किया जाता रहता है। उक्त के दृष्टिगत इस भूमि के सन्दर्भ में दिनाक 18..11.2021 को दोनो राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी की संयुक्त बैठक मे कार्यवृत्त बिन्दु संख्या–2 पर कुंभ मेला की 697.576 है0 भूमि के सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश के पास रहेगा तथा भविष्य में कुंभ मेला एवं अन्य आवश्यक प्रयोजन हेतु अनुमति प्रदान किया जायेगा।(बैठक की कार्यवृत्ति संलग्नक–6)। प्रश्नगत भूमि के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण का कार्य सिंचाई खण्ड हरिद्वार(सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड) द्वारा किया जाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत स्पष्ट है कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा हरिद्वार में बैरागी कैम्प क्षेत्र की उक्त सम्पत्ति हेतु कोई विभागीय अनुमति नही दी गयी है एवं उक्त विषयक प्रकरण पर अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूडकी सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निरन्तर वैधानिक कार्यवाही करते हुए उच्च स्तर एवं स्थानीय प्रशासन को भी संज्ञानित किया गया है। वर्तमान में विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही जिलाधिकारी हरिद्वार/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तराखण्ड, हरिद्वार द्वारा अपेक्षित है।

अधीक्षण अभियन्ता
गंगा नहर संचालन मण्डल,
मेरठ

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की

11/4/2022
मुख्य अभियन्ता (गंगा)
सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग
उ0 प्र0 मेरठ

ओ0ए0 स0–1308/2024 श्री बिजेन्द्र कुमार बनाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं अन्य में माननीय एन0जी0टी0 में जवाब दाखिल करने हेतु प्रकरण का सक्षिप्त इतिहासः–

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) भारत सरकार परियोजना कार्यान्यवन इकाई, बसन्त विहार देहरादून ने बैरागी कैम्प क्षेत्र में अपनी अनुबन्धित फर्म M/S Ircon International Limited द्वारा Upgradation And Four Laning Of Haridwar Bypass Package I from km 0.0000(km 188+ 100 of NH-58) to km 15.100 (km 5.100 of NH- 74) in state of Uttarakhand on Hybrid annuity mode विषयक कार्य कराये जाने हेतु तीन वर्ष के लिये कैम्प/ कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट स्थापना हेतु 50,000 वर्ग मीटर भूमि की मांग की गयी थी। तत्क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 516/जि0भू0व्यं0सहा0–2022 दिनांक 21.05.2022 एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड ,उत्तराखण्ड, हरिद्वार द्वारा अपने पत्रांक 1678/सिखह दिनांक 24.05.2022 द्वारा बैरागी कैम्प में स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के स्वामित्वाधीन भूमि पर कार्यदायी संस्था को कैम्प/कास्टिंग यार्ड की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्नगत भूमि कुम्भ मेंला आरक्षित भूमि है जिस सम्बन्ध में दिनाक 18..11.2021 को दोनो राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी की संयुक्त बैठक मे कार्यवृत्त बिन्दु संख्या–2 पर कुंभ मेला की 697.576 हे0 भूमि के सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश के पास रहेगा तथा भविष्य में कुंभ मेला एवं अन्य आवश्यक प्रयोजन हेतु अनुमति प्रदान किया जायेगा। उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूडकी के सहायक अभियन्ता, प्रथम, उत्तरी खण्ड गंगा नहर हरिद्वार ने पत्र संख्या – आर0– 192/उखगन, दिनांक 04.06.2022 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,उत्तराखण्ड, हरिद्वार को उपरोक्त निर्गत अनापत्ति को निरस्त करने का अनुरोध किया गया एवं प्रतिलिपि जिलाधिकारी हरिद्वार को पृष्ठांकित की गयी। इसके अतिरिक्त उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूडकी सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कार्यालय जिलेदार आराजी– द्वितीय के पत्र संख्या–13/56बी0, दिनांक 13.03.2024 द्वारा अनुबन्धित फर्म मै0 इरकॉन इन्टरनैशनल लिमिटेड को उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूडकी ने अपने पत्र संख्या–310/ उखगनरू/ राजस्व अनु0/अतिक्रमण, दिनांक 27.05.2024 द्वारा सचिव राज्य पुर्नगठन विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून से हरिद्वार में अनापत्ति प्रकरणों को उल्लेखित करते हुए अनुरोध किया गया कि कुंभ मेला भूमि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के स्वामित्व/आधिपत्य की है एवं दोनो राज्यों के मा0 मुख्यमन्त्री जी की सयुंक्त बैठक दिनांक 18.11.2021 में लिए निर्णय की अनुपालना के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन स्तर से, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड एवं स्थानीय प्रशासन हरिद्वार/सम्बन्धित विभाग को सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के स्वामित्व की कुम्भ मेला हेतु आरक्षित 697.576 हे0 भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण/नीलामी इत्यादि की कार्यवाही न की जाये।

उपरोक्त प्रकरण में बैरागी कैम्प में स्थित कुंभ मेला भूमि पर कार्यदायी संस्था द्वारा लगाये गये कैम्प/कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट हेतु दी गयी अनापत्ति व अनुमति के विरूद्ध वादी श्री बिजेन्द्र कुमार द्वारा माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली के समक्ष Original Application number- 1308/2024 बिजेन्द्र कुमार बनाम 1.उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2. मै0 इरकॉन इन्टरनैशनल लिमिटेड 3. जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार 4. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूडकी एवं 5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड उत्तराखण्ड, हरिद्वार को प्रतिवादी बनाते हुए वाद योजित किया गया है। वादी द्वारा माननीय एन0जी0टी0 से प्रतिवादी संख्या–2 मै0 इरकॉन इन्टरनैशनल लिमिटेड को दी गयी अनुमति को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है। जिस पर वर्तमान में स्थित कैम्प/कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट हेतु किसी प्रकार की कोई भी अनापत्ति उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा निर्गत नही की गयी है। प्रकरण में उक्तानुसार अधिशासी अभियन्ता,उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूडकी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती रही है एवं वर्तमान में विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही जिलाधिकारी हरिद्वार/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, उत्तराखण्ड, हरिद्वार द्वारा अपेक्षित है।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता–प्रथम
उत्तरी खण्ड गंगा नहर,
हरिद्वार।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, उत्तराखण्ड,
हरिद्वार।

पत्रांक : /उ०ख०गं०न० दिनांक : 2022

विषय : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुबन्धित फर्म आयरन इन्टरनेशनल लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से कैम्प/कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लान्ट की स्थापना बैरागी कैम्प में करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संज्ञान लेने की कृपा करें, उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस उपखण्ड में कार्यरत जूनियर इंजीनियर एवं जिलेदार द्वारा सूचित कराया गया है कि बैरागी कैम्प कनखल बन्ध के पास राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुबन्धित फर्म Iron International Limited Hardwar द्वारा एन०एच० के ओवर ब्रिज बनने हेतु अपना कैम्प/कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग के प्लान्ट की स्थापना कराई जा रही है, मौके पर कार्यदायी संस्था को बिना विभागीय अनुमति के कार्य को रूकवाने हेतु प्रयास किया गया, परन्तु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा आप द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रस्तुत की गई।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बैरागी कैम्प क्षेत्र की भूमि मेला आरक्षित भूमि है तथा शासनादेश सं० 1762/09–27–सिं–3–3(92)2002 दिनांक 12 जून 2009 एवं शासन के नोटिफिकेशन सं० 4339/XXIII-116/1949 दिनांक 21. 12. 1951 द्वारा भीमगौड़ा बैराज की सुरक्षा हेतु बैराज से 5–0–0 मील अपस्ट्रीम तथा 6–0–0 मील डाउनस्ट्रीम का क्षेत्र सिंचाई विभाग, उ०प्र० के अन्तर्गत उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की के स्वामित्व की भूमि है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है) के अनुसार सिंचाई विभाग, उ०प्र० का स्वामित्व विद्यमान है, प्रश्नगत भूमि सिंचाई विभाग, उ०प्र० के नियंत्रणाधीन की भूमि है, जो गंगा नदी का डूब क्षेत्र है तथा एन०जी०टी० की परिधि में आता है, प्रश्नगत भूमि मेला आयोजित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन को अस्थाई रूप से हस्तानान्तरित की जाती है, जो मेला समाप्त होने के उपरान्त स्वतः ही सिंचाई विभाग, उ०प्र० के नियंत्रणाधीन आ जाती है, अतः आप द्वारा प्रश्नगत स्थल को अपने स्तर से अनुमति दिया जाना नियम विरूद्ध है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत स्थल हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आप द्वारा अपने स्तर से दी गई अनापत्ति/अनुमति को निरस्त करने की कृपा करें तथा भविष्य में सिंचाई विभाग, उ०प्र० के स्वामित्व की भूमि पर किसी प्रकार की अनापत्ति/अनुमति न निर्गत करने की कृपा करें।

सहायक अभियन्ता–प्रथम
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
हरिद्वार

पत्रांक R-192 /उ०ख०गं०न०/ तद्दिनांक : 04-06-22

1. जिलाधिकारी, हरिद्वार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को सूचित कराते हुए उ०प्र० शासन को लिखने की कृपा करें, जिससे सिंचाई विभाग, उ०प्र० के स्वामित्व की भूमि सुरक्षित रह सकें।

सहायक अभियन्ता–प्रथम
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
हरिद्वार

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता (सं०)
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की

संलग्नक 02

44 संलग्नक - 6

पत्रांक [illegible] 580

दिनांक 13/7/25 [illegible]

कार्यालय जिलेदार आराजी द्वितीय
उत्तरी खण्ड, उत्तरी खण्ड गंगा नहर,
हरिद्वार

नोटिस

[illegible]
[illegible]
[illegible]

आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० के नियंत्रणाधीन बैरागी कैम्प कुम्भमेला क्षेत्र के अन्तर्गत सूखा क्षेत्र की भूमि पर बिना विभागीय अनुमति प्लान्ट लगाया गया है, जो उचित नहीं है तथा विभागीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपने प्लान्ट को स्वयं हटवाते हुए विभागीय भूमि को रिक्त कर दें अन्यथा पुलिस बल के सहयोग से उक्त अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

जिलेदार आराजी द्वितीय
उत्तरी खण्ड गंगा नहर,
हरिद्वार

छायाप्रति सत्यापित
06/5/25
सहायक अभियन्ता (सं०)
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की

T-C

Scanned with OKEN Sc

संलग्नक-03
पंजीकृत
(42)

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,
रुड़की।

प्रेषित,

सचिव,
राज्य पुर्नगठन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

पत्रांक: 310 /उखगनरु/राजस्व अनु0/अतिकमण, दिनांक:रुड़की: 27-05-2024

विषय: **दिनांक 18.11.2021 को मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश एवं मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड की संयुक्त बैठक में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के बिन्दुओ पर लिया गया निर्णय/कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगतनीय है, कि जनपद हरिद्वार में कुम्भ मेला लैण्ड के अन्तर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के स्वामित्व/अधिपत्य की 697.576 हे0 भूमि है, यह भूमि उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के हरिद्वार हैड वर्क्स की महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा के परिपेक्ष्य में भविष्य में विस्थापन, पुर्ननिर्माण एवं विस्तारण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। वर्तमान में इस भूमि का उपयोग हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुम्भ मेला एवं समय-समय पर आयोजित धार्मिक स्नान, पर्वो कावंड मेला इत्यादि में किया जाता रहता है। उक्त के दृष्टिगत इस भूमि के सन्दर्भ में दिनांक 18.11.2021 को दोनो राज्यो के मा0 मुख्यमंत्री जी की संयुक्त बैठक में कार्यवृत्त बिन्दु सं0-2 पर कुम्भ मेला की 697.576 हे0 भूमि के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया, कि ***उक्त भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश के पास रहेगा तथा भविष्य में कुम्भ मेला एवं अन्य आवश्यक प्रयोजन हेतु अनुमति प्रदान किया जायेगा*** (बैठक की कार्यवृत्ति संलग्नक-01)। तदानुसार वर्तमान में यह भूमि उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के स्वामित्व/आधिपत्य की है।

उक्त संबंध में संज्ञानित करना है कि कुम्भ मेला की भूमि पर सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड हरिद्वार एवं स्थानीय निकायों द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश एवं मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड की संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन न करते हुये इस क्षेत्र में बिना अनुमति के विभिन्न प्रयोजनो हेतु अनापत्ति निर्गत की जा रही हैं एवं आरक्षित भूमि में निर्माण कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जा रही है, जो कि उनके स्वामित्व/अधिकार क्षेत्र में न होने के कारण अवैधानिक है, विवरण निम्नानुसार है:-

- सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के स्वामित्व की कुम्भ मेला भूमि के अन्तर्गत बैरागी कैम्प में सिंचाई विभाग, उ0प्र0 की अनापत्ति/अनुमति प्राप्त किये बिना अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार

छायाप्रति सत्यापित
(हस्ताक्षर) 26/5/24
सहायक अभियन्ता (सं0)
उत्तरी खण्ड गंगा नहर

क्रमश..............................2

(41)

द्वारा **50000 वर्ग मीटर भूमि** पर कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु अस्थायी रूप से कब्जे की दिनांक से तीन वर्ष तक (दिनांक 01.06.2022 से दिनांक 30.06.2025 तक) अनुमति प्रदान की गई है। (संलग्नक–02 व 03)।

- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार द्वारा **कुम्भ मेला की भूमि** पर वाहन पार्किंग की अनुमति दी गयी है (संलग्नक–04) तथा रोड़ी बेलवाला पार्किंग, रोड़ी बेलवाला मैक्स पार्किंग, रोड़ी बेलवाला गड्ढा पार्किंग, बैरागी कैम्प पार्किंग, ई–रिक्शा पार्किंग एवं वृक्षों आदि की नीलामी की गयी है, जो कि अनुचित एवं नियम विरूद्ध है।
- हरिद्वार में **कुम्भ मेला भूमि** पर नगर निगम, हरिद्वार/हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की बिना अनापत्ति/अनुमति के निर्माण कार्य/पार्किंग हेतु नीलमी आदि की निविदा आमंत्रित कर कार्य किया जाता है, जो कि नियम विरूद्ध एवं अतिक्रमण की श्रेणी के अन्तर्गत है।

उक्त सम्बन्ध में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से समय–समय पर आपत्ति दर्ज की गयी है (संलग्नक–05, 06 व 07) तथा दोनो राज्यो के मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालनार्थ सिंचाई विभाग, उ0प्र0 की भूमि पर बिना विभाग की अनापत्ति/अनुमति के कोई कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हरिद्वार को पत्र प्रेषित किये गये है (संलग्नक–08 व 09) एवं इस कार्यालय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार से सिंचाई विभाग, उ0प्र0 की भूमि बैरागी कैम्प में पार्किंग व अन्य गतिविधियो के संचालन व अवैध वसूली को बन्द कराने के सम्बन्ध में पत्राचार किया गया है (संलग्नक–10 व 11)। प्रतिउत्तर में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार द्वारा अपने पत्रांक 129/सिंखह/दिनांक 10.01.2023 एवं पत्रांक 1016/सिंखह/दिनांक 29.02.2024 (संलग्नक–12 व 13) द्वारा यह अवगत कराया गया है कि **दिनांक 18.11.2021 की संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय** के कम में कुम्भ मेला आरक्षित भूमि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को दिये जाने हेतु जब तक अधोहस्ताक्षरी को **सुस्पष्ट आदेश प्राप्त** नही होते है तब तक इस सम्बन्ध में **कोई कार्यवाही** की जानी सम्भव नही है।

इस प्रकार सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड द्वारा उच्च स्तर के निर्णय को उपेक्षित कर कुम्भ मेला भूमि को वर्ष 2002 से अपने नियन्त्रण में मानी जा रही है (संलग्नक–14) जिस कारण असंमजस्य की स्थिति जनित होने से इस क्षेत्र में अतिक्रमण की प्रवृति बढ़ रही है एवं अतिक्रमणकर्ताओ को बल मिल रहा है, जिसको हटाने में प्रायः विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है व अतिरिक्त राजकीय संसाधनो का प्रयोग करना पड़ता है।

अतः दोनो राज्यों के मा0 मुख्यमंत्री जी की संयुक्त बैठक दिनांक 18.11.2021 में लिये गये निर्णय की अनुपालना के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन स्तर से, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड एवं स्थानीय प्रशासन हरिद्वार/सम्बन्धित विभाग को सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के स्वागित्व की कुम्भ मेला हेतु आरक्षित

कमश.....3

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता (सं०)
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की

697.576 हे0 भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण/नीलामी इत्यादि की कार्यवाही न करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0
रुड़की

पत्रांकः 310/उखगनरु/राजस्व अनु0/अतिक्रमण, तदिनांकः 27-05.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, गंगा नहर संचालन मण्डल, मेरठ।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता (रा0)
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0
रुड़की

RVE219850241N IVR:8286821985024
RL ROORKEE HO (247667)
Counter No:1,30/05/2024,15:43
To:THE SECRETARY,DEHRADUN
PIN:248001, Dehradun GPO
From:SAMPREEHAK,O/O THE EXE ENGI
Wt:117gms,REG=17.0
Amt:0.00,PS:56.00Tax:8.46,Amt.Paid:0.00
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

भारतीय डाक
India Post

संलग्नक-04
(14)

कार्यालय ज्ञाप

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार), परियोजना [illegible] इकाई बसन्त विहार देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 09–03–2022 के द्वारा बैरागी कैम्प में भारतीय राष्ट्रीय [illegible] प्राधिकरण की अनुबन्धित फर्म M/S IRCON INTERNATIONAL LTD द्वारा Upgradation and four Laning of Haridwar Bypass Package-I from Km. 0+000(Km 188+100 of NH-58) to Km. 15+100(Km. 5.100 of NH-74)in the State of uttarakhand on Hybrid Annuity mode विषयक कार्य किये जाने हेतु 03(तीन) वर्ष हेतु कैम्प/कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु 50000 वर्ग मीटर भूमि की मॉग की गयी है।

उक्त क्रम मे अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड,हरिद्वार के द्वारा अपने पत्रांक 997/सिं0ख0ह0/अनापत्ति दिनांक 04–04–2022 एवं सं0– 1579 दिनांक 19–05–2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0–3402/02–27–सी–3/लखनऊ दिनांक 31–10–2002 द्वारा उत्तराखण्ड़ सिंचाई विभाग को 697.576 हैक्टे0 भूमि हस्तान्तरित की गयी है,जिसमें कनखल बगीचा नाम से बैरागी कैम्प स्थित भूमि 19.375 हैक्टे0 सम्मिलित है। बैरागी कैम्प स्थित भूमि गंगा नदी द्वारा छोड़ा गया भाग है,जो विना बन्दोबस्ती भूमि है,राजस्व अभिलेखों (खसरा–खतौनी) में अंकित नहीं है, जिसका प्रबन्धन एवं नियंत्रण सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड का है।

बैरागी कैम्प क्षेत्र मेला भूमि के अन्तर्गत है,जो वर्तमान में खाली हैं जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2022,2023 एवं 2024 में पड़ने वाले कांवड़ मेलों के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की उक्त अनुबन्धित फर्म Line Department को [illegible] अनुमति विभागीय नियम/शर्तो के अन्तर्गत अस्थायी रूप से उक्त फर्म को बैरागी कैम्प स्थित खाली भूमि की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई बसन्त विहार देहरादून के पत्र दिनांक 09–03–2022 के क्रम में अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड,हरिद्वार की उपरोक्त जॉच आख्या सं0–997/सिं0ख0ह0/अनापत्ति दिनांक 04–04–2022 एवं सं0–1579 दिनांक 19–05–2022 के आधार पर बैरागी कैम्प में 50000 वर्ग मीटर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुबन्धित फर्म M/S IRCON INTERNATIONAL LTD को विषयक कार्य किये जाने के लिए 03(तीन) वर्ष हेतु कैम्प/कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु विभागीय नियम/शर्तो के अन्तर्गत अस्थायी रूप से अनुमति प्रदान की जाती हैं।

सं0 2215
दिनांक 23-5-22

दिनांक–20–05–2022

ह0
(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी
हरिद्वार।

[illegible] 21° [illegible]
E/2 23/5/2022

कार्यालय जिलाधिकारी,हरिद्वार।

संख्याः 516 /जि0भू0व्य0सहा0–2022

दिनांकः 21 मई 2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई बसन्त विहार देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड,मायापुर हरिद्वार।
3. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार,हरिद्वार।
4. अनुबन्धित फर्म M/S IRCON INTERNATIONAL LTD.

(पी0एल0 शाह)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
हरिद्वार।
21/05/22

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता (सं0)
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की

सम्भाग3-05

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड मायापुर, हरिद्वार–249401
(फोन नं0–01334–221518 ई–मेल–idharidwar@gmail.com)

पत्रांक – 1678 / सिं0ख0ह0 /   दिनांक 25-5-2022

सेवा में,

M/s IRCON International Ltd.
Haridwar

विषय – राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुबन्धित फर्म Line Departments को विभागीय नियम/शर्तों के अन्तर्गत 03 (तीन) वर्ष हेतु कैम्प/कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु बैरागी कैम्प में स्थित खाली 50000 वर्ग मीटर भूमि अस्थायी रूप से दिये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2022 पर जिलाधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय पत्र सं0–516/जि0भू0व्य0राहा0/2022 दिनांक 21.05.2022 द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुपालन में बैरागी कैम्प में बन्धे के पूरब की ओर 50000 वर्ग मी0 भूमि पर कास्टिंग यार्ड एवं कंक्रीट मिक्सिंग प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति अस्थायी रूप से कब्जे के दिनांक से तीन वर्ष तक (दिनांक 01.06.2022 से 30.06.2025 तक) निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. यह अनुमति पूर्ण रूप से अस्थाई है। उच्चाधिकारियों अथवा जिला प्रशासन /पुलिस प्रशासन से विपरीत आदेश प्राप्त होने पर स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
2. भूमि पर स्वामित्व यथावत सिंचाई विभाग का बना रहेगा।
3. भूमि वर्तमान स्थिति के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसी दशा में विभाग को वापस करनी होगी।
4. भूमि पर कास्टिंग यार्ड एवं कंक्रीट मिक्सिंग प्लान्ट के अस्थायी सैटअप स्थापित करने के अतिरिक्त कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जायेगा।
5. अस्थायी सैटअप स्थापित करने में जो व्यय होगा, वह फर्म को स्वयं वहन करना होगा।
6. राजकीय सम्पत्ति/वृक्ष आदि को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
7. एन0जी0टी0 के आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. किसी घटना/दुर्घटना के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
9. अर्द्ध कुम्भ 2016 की दर अनुसूची के अनुसार 50000 वर्ग मीटर भूमि का शुल्क रू0 107600.00 प्रतिमाह होगा। उक्त धनराशि पर आयकर 2 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अलग से जमा करना होगा। यदि उच्च स्तर से किराया निर्धारण में कोई संशोधन किया जाता है तो उसी के अनुरूप किराया जमा करना होगा।
10. धरोहर धनराशि के रूप में रू0 400000.00 (चार लाख) की एफ0डी0आर0 जो अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार के नाम बन्धक हो, जमा करनी अनिवार्य होगी।
11. अनुमति पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित फर्म को रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर उक्त सभी शर्तों को नोटरी से प्रमाणित कराकर विभाग में जमा करना होगा।
12. सम्पूर्ण धनराशि पर 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क भी जमा करना होगा।
13. शर्तों का पालन न करने पर विभाग द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अनुमति निरस्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्रकरण प्रेषित कर दिया जायेगा।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

पत्रांक – / सिं0ख0ह0 / तद्दिनांक 25-5-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, हरिद्वार को उनके पत्र सं0–516/जि0भू0व्य0सहा0/2022 दिनांक 21.05.2022 के अनुपालन में।
2. उपराजस्व अधिकारी, सिंचाई खण्ड हरिद्वार।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता (सं०)
उत्तरी खण्ड गंगा नहर

19/DRO/Division-426

संलग्नक-06

दिनांक 10-11-2021 को मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश एवं मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराख की संयुक्त बैठक में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाज के बिन्दुओं पर लिया गया निर्णय/कार्यवृत्त

आज दिनांक 10-11-2021 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदे के संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ दोनों राज्यों के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों विभाजन से संबंधित लंबित प्रकरणों पर विभागवार विस्तार से चर्चा की गयी। बैठक में नि अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

उत्तराखंड राज्य के अधिकारीगण		उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारीगण	
क्रम	नाम एवं पदनाम	क्रम	नाम एवं पदनाम
1	श्री एस0एस0 संधु, मुख्य सचिव	1	श्री आलोक सिन्हा, कृषि उत्पादन आयुक्त
2	डा0 रंजीत सिन्हा, सचिव पुनर्गठन	2	श्री अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव, गृह
3	श्री मुकेश मोहन, प्रमुख अभियंता, सिंचाई	3	श्रीमती एस0 राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव, वित्त
4	श्री सुनील सिंह, संयुक्त सचिव, पुनर्गठन	4	श्री मनोज कुमार, अपर मुख्य सचिव, वन
5	श्री हीरा सिंह बसेड़ा, उप सचिव, पुनर्गठन	5	श्री नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव, सूचना
		6	श्री दीपक कुमार प्रमुख सचिव, आवास
		7	श्री आर0 के0 सिंह, प्रमुख सचिव, परिवहन
		8	श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री
		9	श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, सिंचाई
		10	श्री जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव, पुनर्गठन
		11	श्री अभय, विशेष सचिव, पुनर्गठन
		12	श्री ओम प्रकाश, अनुसचिव, पुनर्गठन

2 - दोनों राज्यों के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन से संबंधित बिन्दुओं पर दोन राज्यों के मुख्य सचिव एवं विभागीय अधिकारियों की संयुक्त बैठक दिनांक 17-8-2019 क देहरादून, उत्तराखंड में हुई थी। उक्त बैठक में कई बिन्दुओं पर परस्पर विचार विमर्श क पश्चात एजेण्डा बिन्दु निर्धारित किये गये थे। उन एजेण्डा बिन्दुओं के सापेक्ष विभिन्न विभाग से संबंधित जो बिन्दु अभी तक अनिर्णित थे, उन पर आज विस्तार से चर्चा हुई। तत्पश्चात दोनो राज्यों के मा0 मुख्यमंत्री जी की परस्पर सहमति से विभागवार निर्णय लिये गये एवं उक्त निर्णय के सापेक्ष सम्बन्धित विभागों के विभागीय अभिमत को शामिल करते हुये विभागवार लिये गये निर्णय निम्न प्रकार है:-

विभाग	एजेण्डा बिन्दु	लिया गया निर्णय/विभागीय सहमति
सिंचाई	1 -उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थित रिक्त भूमि/भवन को सिंचाई विभाग उत्तराखंड को हस्तांतरण के संबंध में।	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड परिक्षेत्र में उपयोग हेतु आवश्यक भूमि/भवनों के आकलन हेतु दोनों राज्यों के सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त सर्वे कर आख्या 15 दिन के अन्दर निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगे।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता (सिं0)
उत्तरी खण्ड गंगा नहर

	2 –जनपद हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन कुंभ मेला के प्रयोजन हेतु उपयोग में लायी जा रही 897.878 हे0 भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।	उक्त भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश के पास रहेगा तथा भविष्य में कुंभ मेला एवं अन्य आवश्यक प्रयोजन हेतु अनुमति प्रदान किया जायेगा।
	3 –जनपद उधमसिंह नगर के अंतर्गत 20 एवं हरिद्वार की 04 (कुल 24) नहरों को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य को दिया जाना।	इस आशय का समर्त आदेश सिंचाई विभाग के शासनादेश दिनांक 05–2–2021 द्वारा पारित किया जा चुका है, तदनुसार निस्तारित।
	4 –जनपद उधमसिंह नगर स्थित बौरा, बैगुल एवं नानक सागर जलाशय में पर्यटन एव जल क्रीड़ा हेतु उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की अनुमति।	इसकी अनुमति प्रदान की गयी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग इस आशय का आदेश तत्काल जारी करेंगे।
	5 –पुरानी ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति दिया जाना।	अनुमति प्रदान की गयी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग इस आशय का आदेश निर्गत करेंगे।
	6 –जनपद उधमसिंह नगर के किच्छा में स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के 0.346 हे0 भूमि पर उत्तराखंड राज्य द्वारा बस स्टैण्ड बना लिया गया है। इसकी अनुमति दिये जाने विषयक।	जनपद उधमसिंह नगर के किच्छा में स्थित सिंचाई विभाग की भूमि पर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा बस डिपो बना लिया गया है। इससे संबधित कोई वाद न्यायालय में लम्बित नही है। तदनुसार निस्तारित।
	7 – उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को विद्युत आपूर्ति के बिलों के सापेक्ष रू0 57.87 करोड़ का भुगतान।	वर्ष 2019 तक के विद्युत बिलों रू0 57.87 करोड़ में से सरचार्ज रू0 37.00 करोड़ को घटाते हुए रू0 20.00 करोड़ यां वास्तविक देयक का भुगतान उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा यू0पी0सी0एल0, उत्तराखंड को दिया जायेगा। वर्ष 2019 के पश्चात के बीजको के एरियर का तत्काल भुगतान तथा भविष्य के बीजकों का नियमित भुगतान किया जायेगा। इसमें ब्याज की देयता नही होगी
	8 – उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम लि0 द्वारा उत्तराखंड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को रू0 3,06,20,130.00/– का भुगतान किया जाना।	यह भुगतान दिनांक 19–03–2021 को किया जा चुका है। तदनुसार निस्तारित।
स्वास्थ्य एवं नागरिक आपूर्ति	9 – उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक से लिये गये ऋण में उत्तराखंड राज्य का अंश रू0 105.42 करोड़ मूलधन का भुगतान उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को किया जाना।	उत्तराखंड राज्य द्वारा इस भुगतान के लिए सहमति व्यक्त की गयी। यह निर्णय हुआ कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा उत्तराखंड परिवहन विभाग को जो भुगतान किया जाना है, उसमें इस रू0 105.42 करोड़ को समायोजित कर लिया जाय। स्वास्थ्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उपरोक्त से सहमत है।

छायाप्रति सत्यापित

<table>
<tr>
<td>वन विभाग</td>
<td>10 — उत्तर प्रदेश वन निगम एवं उत्तराखंड वन विकास निगम के मध्य विभाजन के बाद दिनांक 31–3–2001 को संचित एवं आधिक्य मद की धनराशि का भुगतान किया जाना।</td>
<td>उत्तर प्रदेश वन निगम एवं उत्तराखंड वन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशकों के मध्य दिनांक 22–2–2021 को वीडियो कान्फ्रेंस की बैठक मे संचित एवं आधिक्य की निर्धारित विभाजन के अनुपात 46:54 के अनुरूप निम्न प्रकार भुगतान की सहमति बनी–
<table>
<tr><td>उत्तराखंड का अंश</td><td>1,77,03,84,028.13 रू</td></tr>
<tr><td>घटाया संयुक्त आय/विक्रीकर की देयता में उत्तराखंड का अंश</td><td>99,56,03,881.88 रू</td></tr>
<tr><td>अवरोध धनराशि</td><td>10,49,849.00 रू</td></tr>
<tr><td>कुल शुद्ध देयता</td><td>77,37,30,297.45 रू</td></tr>
</table>
अंतिम रूप से उक्त सहमति के अनुसार भुगतान किया जा चुका है। उक्त भुगतान की गयी धनराशि पर आयकर देयता का निस्तारण नियमानुसार किया जायेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>परिवहन</td>
<td>11 — परिवहन निगम मुख्यालय और इससे संबंधित अन्य इकाईयों की भूमि एवं भवन का विभाजन के पश्चात बाजार मूल्य पर मूल्यांकन कर भुगतान किया जाना।</td>
<td>इस विषय पर चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की देयता का निर्धारण मार्च 2003 में प्रभावी सर्किल रेट एवं उस पर अब तक प्रभावी ब्याज को जोड़ते हुए किया जाय।

परस्पर सहमति के आधार पर यह धनराशि रू0 205.42 करोड़ दिये जाने की सहमति बनी। यह निर्णय हुआ कि उत्तराखंड राज्य द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को किये जाने वाले भुगतान रू0 105.42 करोड़ का समायोजन इस धनराशि में कर लिया जायगा। शेष रू0 100 करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम को किया जायेगा। यह भी निर्णय हुआ कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग इस संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं उत्तराखंड परिवहन विभाग मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन मुकदमों को वापस ले लेंगे।</td>
</tr>
</table>

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता (सं०)
उत्तरी खण्ड गंगा नहर

		परिवहन विभाग का मत है कि रू 100.00 करोड़ की धनराशि अनुदान/सहायता के रूप में परिवहन निगम को उपलब्ध कराया जाता है तो उक्त धनराशि को उत्तराखण्ड परिवहन निगम को भुगतान किये जाने में कदाचित आपत्ति प्रतीत नही होती है।
आवास	12 — उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की उत्तराखंड में अवस्थित परिसम्पत्तियों के नीलामी/आवंटन की संयुक्त प्रकिया विकसित किया जाना एवं इससे प्राप्त होने वाली धनराशि को ज्वाइंट स्को एकाउंट में जमा कराया जाना।	1 — उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की उत्तराखण्ड राज्य में सृजित सम्पत्तियों के निस्तारण से प्राप्त सभी आय को खोले गये स्को एकाउन्ट में डाला जायेगा एवं इस आय को 50–50 के अनुपात में बाँट लिया जायेगा। 2 — उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की उत्तराखण्ड राज्य में सृजित सम्पत्तियों से सम्बन्धित किसी भी न्यायालय में चल रहे सभी मुकदमों में आवास एवं विकास परिषद, उत्तराखण्ड पक्षकार बनकर प्रभावी पैरवी करेंगे। इस पर आने वाले व्यय को खोले गये स्को एकाउन्ट से समानुपातिक रुप में वहन किया जायेगा। 3 — उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की उत्तराखण्ड राज्य में सृजित सम्पत्तियों में किसी भी न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कम में अन्यथा की स्थिति उत्पन्न होने पर सभी प्रकार की देनदारियों को समानुपात (50–50 प्रतिशत) में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं उत्तराखण्ड, आवास एवं विकास परिषद द्वारा वहन किया जायेगा, जिसका भुगतान स्को एकाउन्ट से किया जायेगा।
पर्यटन	13 — हरिद्वार स्थित नवीन अलकनंदा पर्यटक आवास गृह का निर्माण उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। दोनो राज्यों के मध्य पूर्व मे हुई सहमति अनुसार पहले का पर्यटक आवास गृह उत्तराखंड पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किया जाना	मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा नवीन निर्मित भागीरथी पर्यटक आवास गृह का औपचारिक लोकार्पण अगले माह किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम के समय ही औपचारिक रूप से पूर्व पर्यटक आवास गृह, अलकनंदा उत्तराखंड पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। पर्यटन विभाग इससे सहमत है।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता (सं०)
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की

अतिरिक्त बिन्दु —

1 — वनबसा बैराज जो कि वर्तमान में जर्जर अवस्था में है, के पुर्ननिर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट/डीपीआर तैयार कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

2 — उपरोक्त सहमति के साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अन्य मामलों को दोनों राज्यों के मुख्य सचिव परस्पर सहमति के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। जिन मामलों में सहमति बन जाय, उनमें विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों को वापस ले लिया जाय।

(डा० रंजीत सिन्हा)
सचिव।
राज्य पुनर्गठन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।
उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग
उ०प्र० शासन।

छायाप्रति/सत्यापित

उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की